

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-278/1-11-2015-5(6)/2015

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2015

विषय: प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के फलस्वरूप मृतकों के परिवार/आश्रितों को राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-177/1-11-2015-1 (जी)/2015, दिनांक 18.03.2015 द्वारा प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के फलस्वरूप मृतकों के परिवार/आश्रितों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक रु0 1.50 लाख के अतिरिक्त रु0 3.50 लाख की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा पूर्व निर्धारित मानक/दरों में संशोधन/वृद्धि करते हुये आपदा के फलस्वरूप मृतकों के परिवार/आश्रितों को रु0 4.00 लाख की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- भारत सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में शासनादेश दिनांक 18.03.2015 को नवीनतम दरों के परिपेक्ष्य में संशोधित करते हुये चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश में हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के फलस्वरूप मृतकों के परिवार/आश्रितों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित रु0 4.00 लाख की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से दिये जाने के अतिरिक्त रु0 3.00 लाख की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या:- (1)/1-11-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
- 5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
13/5/15

सचिव एवं राहत आयुक्त